

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक

फर्द अहकाम

मु० नं० २३ / १७ तारीख रजू १.५.१७

उनवान - गथा बाई बनाम काडूबुर्जर  
नि सूरा

प्रार्थना पत्र अप्पार्थी निवेद्याज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री राजकुमार सिंह Adv. ने प्रार्थना पत्र अप्पार्थी निवेद्याज्ञा पेश किया। जमा बन्दी व शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील को एक तरफा बहस सुनी गयी। प्रथम दृष्ट्या मात्र एा प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अप्पार्थीगण को अन्तरिम अप्पार्थी निवेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम सहजनपुर की भूमि ख. नं० २३३ रकबा ३४ ऐघर, २३५ रकबा ३६ ऐघर कुल कित्ता २ कुल रकबा ६५ ऐघर भूमि को आगामी पेशी तक रिकार्ड हकी अधाल्ति बनाने श्रेय। प्रार्थना पत्र दर्जर निरूत्तर कर अप्पार्थीगण को अरिये जोटिस से तलाव कर दिनांक ५-७-१७ को पेश हो।

1601-1602  
१-५-१७



उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (बदौली)

५.७.१७


वादी वकील उप. प्रतिवादी नं. १ की ओर से श्री हंसराम बुर्जर Adv. ने बकालतनामा पेश किया। अप्पार्थी नं. २ अवजूद सूचना उप. नहीं इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है जब प्रति. नं. १ का पेश किया जाये तो वह ५.७.१७ को पेश हो।

काडूबुर्जर

५.७.१७ वकूलाय उपस्थित/पीवसन अधिकारी के समक्ष है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक १२.७.१७ को पेश हो।

JAL

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
12.7.17	<p>वकूलाय उपास्थित   वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई   बहस पर मनन किया   पत्रावली का भवलीकन किया   विवादित इलाकीपात गुप्त निलरा खं.नं. 233 रकबा 0.38 है, 234 रकबा 0.26 है का लकासा का दावा प्राथमिक सिद्धी किया गया है विवादित इलाकीपात की रिपोर्टों के बन्धे रविने हेतु दिनांक 9.5.17 को जारी की गई भूतमि इस्थायी निवेदाज्ञा को दावा के फैसला होने तक कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है</p> <p style="text-align: center;">इतः उभयपक्ष कोरों को याबद किया जाता है कि गुप्त निलरा की भूमि खसरा नम्बर 233 रकबा 0.38 है, 234 रकबा 0.26 है पर रिपोर्ट की दावा के फैसला होने तक क्यास्थिति बन्धे रखे पत्रावली फैसल शुभगा ठाका नम्बर ले कम होय दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">   <b>जगदीश आर्य</b>                      उपजिला कलेक्टर                      टोडाभीम                 </div>